



ई-मेल/स्पीडपोस्ट
केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
18 सांस्थागतक्षेत्रशहीदजीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली-110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN(HQ)
18, Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

एफ0 11-55/2000/केविस (सर्तकता)/3516-3524
आदेश

दिनांक 02.09.2022

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 18/21.10.2021 के क्रम में सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) के पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer) के रूप में नामित किया जाता है। यह समिति केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), क्षेत्रीय कार्यालयों, जेड आई ई टी, केन्द्रीय विद्यालयों के सभी समूह 'ए' के अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) में कार्यरत महिला कर्मचारियों की यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निपटान करती है।

समिति के अन्य सदस्य पूर्व आदेश दिनांक 18/21.10.2021 के अनुसार यथावत रहेंगे।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

02.09.2022

(एन. आर. मुरली)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
व मुख्य सर्तकता अधिकारी

वितरण:-

1. सुश्री चंदना मंडल, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) ।
2. श्रीमती राकेश धवन, अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन पैन इंडिया, 7/1 पीतम रोड, देहरादून - 248001 (उत्तराखंड) ।
3. डॉ. (श्रीमती) ए. पदमावती, चेयर पर्सन, हुमाना पीपल टू पीपल इंडिया, बी 7/61/1, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ।
4. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) की समिति से संबंधित सभी मनोनीत सदस्य ।
5. अवर सचिव (यूटी-2), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
6. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीट को इस निर्देश के साथ प्रेषित की इस आदेश को अपने नियंत्रणाधीन संभागीय कार्यालय और केन्द्रीय विद्यालयों के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाने लाया जाए।
7. केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) के सभी अनुभागों व अधिकारियों को सूचनार्थ ।
8. उपायुक्त (शैक्षिक), ईडीपी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस आदेश को केवीएस वेबसाइट पर प्रशासन के तहत उप-शीर्ष 'सर्तकता' में अपलोड किया जाए।
9. गार्ड फाईल ।